म/निग0/उमरिया/2018/0203 1 (38)

श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला रीवा म0प्र0

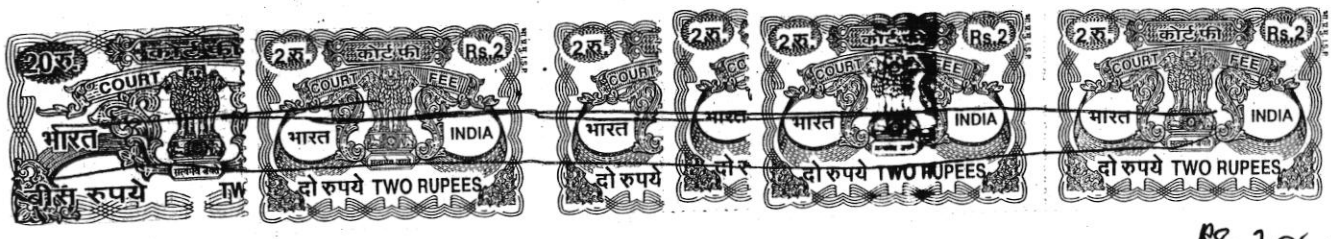

Rs. 30/-

अधि0 श्री बी. एन. मिश्रा द्वारा पेश/01-01-18

शिव प्रसाद पिता भवानी केवट उम्र वर्ष, पेशा मजदूरी निवासीग्राम गोवर्दे तहसील मानपुर, जिला उमरिया म0प्र0 ---- प्रार्थी/ निगराकार

वनाम

1-महेन्द्र मिश्रा पिता रामभुवन मिश्रा पेशा खेती निवासीग्राम गोवर्दे तहसील मानपुर, जिला उमरिया म0प्र0

2- शासन म0प्र0 द्वारा द्वारा पटवारी हल्का गोवर्दे, रा0नि0म0 मानपुर, जिला उमरिया म0प्र0 -------- गैरनिगराकार/ अना0

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय सर्किल मानपुर के राजस्व प्रकरणक्रमांक 42अ-12/2016-17मे पारित आदेश दिनांक 26-9-17।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहितासन 1959ई0

प्रकरणके संक्षिप्त तथ्य

विचारण न्यायालय केसमक्ष अनावेदक द्वारा खसरा क्रमांक 994/1ख रकवा 2-023है0 पटवारी हल्का गोवर्दे रा0नि0 म0 मानपुर जिसके भूमिस्वामी अना01 है, और जिस समय अनावेदक द्वारा उक्त आराजीको कैलाश गिरि पिता वेदानंद गिरी सन्यासी ग्रा0 गोवर्दे केनिवासी थे, उनसे क्रय किया था उक्त आराजी के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/उमरिया/2018/203 शिव प्रसाद विरूद्ध महेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 07-09-2018 को आवेदक शिवप्रसाद के अभिभाषक श्री वी.एन. मिश्रा को ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना गया । 2. अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक मण्डल मानपुर तहसील जिला उमरिया की आदेश पंजिका दिनांक 26-09-2017 अनावेदक महेन्द्र मिश्रा की भूमि ख.नं. 994/1 ख रकबा 2.023 हे. के सीमांकन के प्रतिवेदन को अंतिम करने से संबंधित है, जिसमें आवेदक शिवप्रसाद को भी सुना जाना उल्लेखित है, उक्त आदेश पंजिका में यह भी उल्लेखित है कि आपत्ति सुनवाई के दौरान निगरानीकर्ता शिवप्रसाद के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाने के कारण तरमीम/सीमांकन स्वीकार किया जाता है । 3. निगरानीकर्ता के द्वारा उक्त दिनांक 26-09-2017 के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में 01-01-2018 को निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है । 4. नक्शा तरमीम आदेश के विरूद्ध भू.रा. संहिता 1959 के अंतर्गत धारा 44 के अंतर्गत अपील का प्रावधान होने के कारण उक्त निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक अभिभाषक को भी नोट कराया जाये । सदस्य 17.9.18	